न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/1610 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.02.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 181/2015-16/अपील.

बंशीलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल
कुर्मी निवासी ग्राम परसौरा,
तह. व जिला रायसेन, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

सरदार सिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह
निवासी ग्राम परसौरा, तहसील व
जिला रायसेन, म.प्र. ....अनावेदक

श्री लालजी शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

श्री दिवाकर दीक्षित व श्री वीर सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अपीलाधीन भूमि नौईयत चरोखर निस्तार के भाग पर कब्जा होने से नौईयत परिवर्तन कर पट्टा दिलाये जाने का अनुरोध किये जाने पर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्र. 167/अ-59/अ.कले./95-96 में पारित आदेश दिनांक 30.05.1996 द्वारा व्यवस्थापन के आदेश दिये गये। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर

आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28.02.2018 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 02.03.2015 को अपील प्रस्तुत की गई थी, जो आदेश दिनांक 30.05.1996 से 19 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है, जो कि अत्यधिक विलंब से बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के प्रस्तुत की गई है। अनावेदक द्वारा उक्त अपील के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण किये बिना ही अपील ग्राह्य कर अंतिम आदेश पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 02.03.2015 को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई आदेश पत्रिका अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपील मेमो पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा टीप दी गई है:-

"प्रकरण दर्ज करें। समयसीमा बाह्य होने से निरस्त।"

संबंधित के हस्ताक्षरों के साथ दिनांक 18.11.2015 अंकित है, लेकिन इस संबंध में कोई आदेश पत्रिका अभिलेख पर नहीं है और न ही उपरोक्त निर्देश/आदेश का कोई उल्लेख किसी आदेश पत्रिका में किया गया है। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि दिनांक 18.11.2015 पर ओव्हर रायटिंग कर उसे दिनांक 09.12.2015 बनाया गया है जैसा कि देखने से विदित होता है। उपरोक्त स्थिति में यह मानने के पर्याप्त आधार हैं कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपील निरस्त किये जाने का उल्लेख रिकॉर्ड से हटाया जाकर अपील के रिकॉर्ड में काट-छांट की गई है, जो कि एक जांच का विषय है।

(3) अनावेदक को संबंधित अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। उपरोक्त स्थिति में संबंधित अपील प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अधिकार प्रस्तुत की गई अपील पर सुनवाई कर वैधानिक त्रुटि की गई है।

(4) संबंधित अपील आदेश दिनांक 30.05.1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि उक्त आदेश कोई अंतिम आदेश नहीं था। आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30.09.1996 के द्वारा दिया गया है, जिसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। फलस्वरूप व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30.09.1996 अंतिम होकर अनावेदक पर बंधनकारी है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) ग्राम परसौरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 112 रकबा 4.710 हैक्टेयर एवं सर्वे नं. 108 रकबा 0.247 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख नौईयत चरोखर दर्ज थी, आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष चरोखर से काबिल कास्त घोषित करवाने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उक्त भूमि पर स्वयं का कब्जा बताया गया था तथा स्वयं को भूमिहीन बताकर अधीनस्थ न्यायालयों को गुमराह किया गया।

(2) आवेदक द्वारा ये तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, क्योंकि आवेदक के पास ग्राम परसौरा की भूमि सर्वे नं. 34 रकबा 0.16 हैक्टेयर, सर्वे नं. 36 रकबा 0.06, सर्वे नं. 3 रकबा 0.09, सर्वे नं. 38 रकबा 015, सर्वे नं. 125/1 रकबा 3.78, सर्वे नं. 181 रकबा 0.08, सर्वे नं. 245/1 रकबा 3.91, सर्वे नं. 187 रकबा 0.11, कुल किता 08 कुल रकबा 8.34 भूमि का भूमिस्वामी था तथा दिनांक 26.02.1995 को नामांतरण पंजी पर से अपने-अपने पुत्रों प्रेमनारायण, मेहताब, कैलाश एवं अपने रिश्तेदार प्रकाश पुत्र चौखेलाल के हित में बटवारा कर दिया।

(3) अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.05.1996 से ग्राम परसौरा की भूमि सर्वे नं. 108 रकबा 0.61 तथा सर्वे नं. 112 रकबा 11.64 में रकबा 2.00 एकड़ भूमि चरोखर से काबिलकास्त घोषित करवा ली। झूठे तथ्यों के आधार पर अपने हित में व्यवस्थापन करवा लिया।

(4) अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27.01.1996 को जांच प्रतिवेदन वापिस करते हुए पात्रता के संबंध में जांच करने को पुन: वापिस कर दिया, परंतु तहसीलदार द्वारा पात्रता के संबंध में बिना जांच किये पुन: असत्य आधारों पर प्रतिवेदन अपर कलेक्टर के समक्ष भेज दिया। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30.05.1996 में लिखा पुन: जांच कर अपनी संतुष्टि करने

तथा नियमानुसार पात्रता होने पर ही आवेदक के पक्ष में भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही करे, परंतु तहसीलदार द्वारा नियम और कानून को ताक पर खर कर आवेदक से दुरभी संधि करके आवेदक भूमिहीन न होते हुए भी उसके पक्ष में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बंशीलाल के हित में व्यवस्थापन कर दिया गया, जबकि उसके बावजूद भी आवेदक के हित में मनमाने तौर पर सब कुछ जानते हुए आवेदक को लाभ पहुंचाया गया है। तहसीलदार के मिथ्या प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक को लाभ पहुंचाया है। इस कारण भी उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है।

(5) तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन में गलत तथ्यों का उल्लेख किया है, उक्त प्रतिवेदन पर किसी ग्रामवासी के हस्ताक्षर नहीं है, मात्र पटवारी, सरपंच, तहसीलदार एवं चौकीदार के ही हस्ताक्षर यह यह सब हस्ताक्षर तहसीलदार द्वारा अपने पद का प्रभाव डालकर हस्ताक्षर करवाये हैं। इस कारण से भी उक्त व्यवस्थापन निरस्त होने योग्य है।

(6) प्यारेलाल के कथन में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि आवेदक भूमिहीन है या नहीं, इन तथ्यों का उल्लेख नहीं है, इस कारण से भी उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है।

(7) आवेदक द्वारा दिनांक 11.09.1995 को इस्तहार बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें न तो सर्वे नम्बर और ना ही रकबा का उल्लेख नहीं किया गया है। जब इस्तहार में सर्वे नम्बर का उल्लेख नहीं है, तो किन सर्वे नम्बर एवं रकबा पर इस्तहार जारी किया या संबंधित रीडर या तहसीलदार द्वारा किन नम्बरों पर इस्तहार जारी किया। न्याय दृष्टांत 1980 आर.एन. ''भू-राजस्व संहिता की धारा 42 उद्घोषणा में त्रुटि न्याय प्रतिकूल रूप से प्रभावित, ऐसी उद्घोषणा पर की गई कार्यवाही अवैध है'' इस कारण से भी उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(8) आवेदक द्वारा दिनांक 11.09.1995 को पट्टा लेने बावत जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें स्वयं को भूमिहीन बताया है, जबकि वह भूमिहीन नहीं है। इस कारण से भी उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है।

(9) उक्त प्रकरण किस तारीख को प्रारंभ किया, आदेश पत्रिका में किसी भी तारीख का उल्लेख नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में की गई है। प्रकरण में मौजा पटवारी के कथन भी अंकित नहीं है और ना ही आदेश पत्रिका पर हस्ताक्षर है। इसलिए सम्पूर्ण कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होने से निरस्त होने योग्य है।

(10) तत्कालीन तहसीलदार एवं मौजा पटवारी को इस बावत् की जानकारी थी कि आवेदक बंशीलाल भूमिहीन नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने ही बंशीलाल का पंजी पर से बंटवारा किया था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य को छिपाते हुएं उसे भूमिहीन सिद्ध करने की कोशिश की है। इस कारण से भी तहसीलदार का उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदनों इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है कि आवेदक को कृषि भूमि प्राप्त करने की पात्रता आती है अथवा नहीं ना ही इस बात का उल्लेख किया है कि आवेदक को भूमि व्यवस्थापन की पात्रता किस क्रम में आती है, शासन की योजना के अनुरूप अ0जा0 अनु0ज0जा0 के हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर पट्टा दिये जाने का प्रावधान है परंतु इसका उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख के आधार पर यह भी पाया है कि आवेदक को भूमि का व्यवस्थापन किये जाने से पूर्व राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है । इस प्रकरण में कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आवेदक को भूमि का व्यपस्थापन करने के लिए भूमि का मद परिवर्तन किया गया है जो संहिता के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक के पास पूर्व से ही ग्राम परसौरा में भूमियां हैं, परंतु इस ओर तहसील न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-2-18 स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर